[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2020 का विधेयक संख्यांक 30

[दि इंडियन मेडिसीन सेन्ट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2020

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

5 (2) यह 24 अप्रेल, 2020 से प्रवृत हुआ समझा जाएगा ।

1970 का 48

नई धारा 3क, 3ख और 3ग का अंत:स्थापन ।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय परिषद का अधिक्रमण करने की और शासी बोर्ड का गठन करने की शक्ति ।

"3क. (1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारंभ की तारीख पर और से, केन्द्रीय परिषद् अधिक्रांत हो जाएगी और केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, उनका पद रिक्त कर देंगे और किसी प्रतिकर, चाहे जो भी हो का दावा नहीं करेंगे । 2020 का अध्यादेश सं0 7

(2) केन्द्रीय परिषद्, उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय परिषद् के अधिक्रमण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, धारा 3 के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय परिषद् के अधिक्रमण पर और धारा 3 के उपबंधों के अनुसार नई परिषद् का गठन किए जाने तक, उपधारा (4) के अधीन गठित शासी बोर्ड इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शासी बोर्ड का गठन करेगी जिसमें उसके सदस्य के रूप में दस से अधिक व्यक्ति होंगे, जो भारतीय चिकित्सा और भारतीय चिकित्सा शिक्षा तथा प्रख्यात प्रशासकों के क्षेत्र में प्रख्यात और त्रुटिहीन निष्ठा वाले व्यक्ति होंगे और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले या तो नामनिर्दिष्ट सदस्य या पदेन सदस्य हो सकेंगे, उनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाएगा ।

(5) अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्य, ऐसी बैठक फीस और यात्रा तथा अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाए ।

(6) शासी बोर्ड, ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा और उसकी बैठकों में कारबार के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा, जो परिषद् को यथा लागू हैं ।

(7) शासी बोर्ड के दो तिहाई सदस्य उसकी बैठकों की गणपूर्ति का गठन करेंगे ।

(8) शासी बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि—

(क) शासी बोर्ड में कोई पद रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) शासी बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

(9) शासी बोर्ड के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए आने वाले किसी मामले में कोई वित्तीय या अन्य हित रखने वाला कोई सदस्य, ऐसी कार्यवाहियों में शासी बोर्ड द्वारा भाग लेने के लिए यदि अनुज्ञात किया जाता है तो उसके पहले ऐसे मामले में वह अपने हित का प्रकटन करेगा ।

(10) शासी बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादनपर्यन्त पद धारण करेंगे ।

अधिनियम के कतिपय उपांतरण ।

3ख. उस अवधि के दौरान जब केन्द्रीय परिषद् अधियोजित रहती है,—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि "केन्द्रीय परिषद्" शब्दों के स्थान पर "शासी बोर्ड" शब्द रखे गए थे;

(ख) शासी बोर्ड इस अधिनियम के अधीन परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंध उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होंगे कि उसमें केन्द्रीय परिषद् के संदर्भों का शासी परिषद् के संदर्भों के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ;

केन्द्रीय सरकार की निर्देश देने की शक्ति ।

3ग. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शासी बोर्ड या उसके पुनर्गठन के पश्चात् केन्द्रीय परिषद्, इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करते हुए, तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से भिन्न, नीति के प्रश्नों पर, ऐसे निदेशों द्वारा बाध्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाएं :

परंतु शासी बोर्ड या उसके गठन के पश्चात् परिषद् को इस उपधारा के अधीन किन्हीं निदेशों के दिए जाने से पूर्व उनके विचार अभिव्यक्त करने का, यथा साध्य, अवसर दिया जाएगा ।

(2) यह कि क्या कोई प्रश्न नीति का मामला है या नहीं, उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

निरसन और व्यावृत्ति

2020 का अध्यादेश सं0 7

3. (1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 निरसित किया जाता है ।

1970 का 48

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48), भारतीय चिकित्सा पद्धति के शैक्षिक मानकों के विनियम, चिकित्सा की भारतीय पद्धति के व्यवसायियों के केंद्रीय रजिस्टर के अनुरक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा की एक केंद्रीय परिषद् के गठन का तथा तत्संबद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए है ।

2. केंद्रीय सरकार ने सदस्यता के मुददे पर केंद्रीय परिषद की कार्य पद्धति को सरल और कारगार बनाने के क्रम में, महाविद्यालयों को अनुज्ञा प्रदान करने की क्रियाविधि में पारदर्शिता लाने और भारतीय चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय करने तथा चिकित्सा शिक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 प्रतिस्थापित करने और उसके अधीन स्थापित भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद को अधिक्रांत करने का प्रस्ताव किया था । तद्नुसार, तारीख 7 जनवरी 2019 को राज्य सभा में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2019 पुर:स्थापित किया गया था और वह विधेयक उस सदन द्वारा तारीख 18 मार्च, 2020 को पारित कर दिया गया था । राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020 लोक सभा में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए लंबित है ।

3. जैसा कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष की सदस्यता केवल 30 मई, 2020 तक थी, अध्यक्ष का निर्वाचन मई, 2020 तक किया जाना था । उसी प्रकार, केंद्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, और महाराष्ट्र में भी बाकी था । जैसा कि केंद्रीय परिषद के सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष है और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020 पहले ही राज्य सभा में पारित किया जा चुका है, उन राज्यों में और अन्य राज्यों में, जहां पदावधि समाप्त होना संभाव्य है, निर्वाचनों का संचालन करना समुचित समझा गया था । इसलिए, केंद्रीय सरकार ने शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए महाविद्यालयों को समयबद्ध अनुज्ञा प्रदान करने को पूरा करने के क्रम में और अंतरिम अध्युपाय के रूप में, केंद्रीय सरकार को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद को अधिक्रांत करने के लिए सशक्त करने और उक्त अधिनियम के अधीन केंद्रीय परिषद के गठन तक केंद्रीय परिषद की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए शासी बोर्ड का गठन करने के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 का संशोधन करने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित करने का प्रस्ताव किया था । तद्नुसार, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन 24 अप्रेल, 2020 को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया गया था ।

4. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020 जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 7) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित के लिए सशक्त करने का उपबंध करता है—

(i) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद को अधिक्रांत करना और उक्त अधिनियम

के अधीन एक वर्ष की अवधि के भीतर केंद्रीय परिषद के गठन तक केंद्रीय परिषद की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए शासी बोर्ड का गठन ;

(ii) नीति के प्रश्न पर शासी बोर्ड या केंद्रीय परिषद को निदेश देना ।

5 विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
27 जुलाई, 2020

श्रीपद नाइक

MGIPMRND—405RS(CRC)—11.09 2020